भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 520
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

चेन्नई हवाई अड्डा

520. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार चेन्नई में दूसरा हवाई अड्डा बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित आवंटित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त हवाई अड्डे के लिए स्थान को अंतिम रूप दे दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना तथा निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत सरकार (जीओआई) ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें उपयुक्त स्थल को चिह्नित करना होगा और हवाईअड्डे के निर्माण हेतु व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन कराना होगा और 'साइट क्लीयरेंस' और तत्पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

तमिलनाडु सरकार के उपक्रम तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के परन्दुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु 'साइट क्लीयरेंस' प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को आवेदन प्रस्तुत किया था। अगस्त, 2024 में, नागर विमानन मंत्रालय ने तमिलनाडु के परन्दुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु टीआईडीसीओ को साइट क्लीयरेंस का अनुमोदन दे दिया। तत्पश्चात, टीआईडीसीओ से 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।

जीएफए नीति, 2008 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण, आदि सहित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित हवाईअड्डा विकासक या राज्य सरकार

की है, जैसी भी स्थिति हो। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि।

****